

हमिचल प्रदेश का 78वाँ स्थापना दविस

स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड

हमिचल प्रदेश दविस प्रतविर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जो वर्ष 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में इसके गठन का प्रतीक है।

- **पृष्ठभूमि:** यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के कार्यान्वयन के साथ श्रेणी C राज्य बन गया। बाद में 1 नवंबर 1956 को एक केंद्रशासित प्रदेश बना तथा वर्ष 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ इसका विस्तार किया गया।
- **25 जनवरी 1971** को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और यह हमिचल प्रदेश अधिनियम, 1970 के तहत भारत का 18वाँ राज्य बन गया।
- **व्युत्पत्ति:** "हमिचल" नाम संस्कृत के "हमि" (हमि) और "आंचल" (गोद) से लिया गया है, जो हिमालय में बसे इसके भूगोल का सटीक वर्णन करता है।
 - **सीमाएँ:** हमिचल प्रदेश की सीमाएँ भारत के केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों के साथ साझा होती हैं।
 - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सीमा चीन से लगती है।
- **अर्थव्यवस्था:** हमिचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 में 2.27 ट्रिलियन (USD 27.27 बिलियन) रहा। वित्त वर्ष 2025 (अगस्त तक) में निर्यात कुल 223.20 मिलियन यूएस डॉलर रहा, जिसमें दवा निर्माण तथा जैविक उत्पादों का योगदान कुल 69.5% रहा।
 - हमिचल प्रदेश में वर्ष 2019 से 2023 तक संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह कुल 246.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

भारत में राज्यों का पुनर्गठन

वर्ष 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन का सुझाव दिया था।
वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

1950 राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया - भाग A, B, C और D (प्रथम अनुसूची)

- भाग A- निर्वाचित राज्य विधानमंडल, जो राज्यपाल द्वारा शासित होंगे
- भाग B- पूर्व रियासतें
- भाग C- पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत, कुछ रियासतें
- भाग D- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

7वाँ संविधान संशोधन (1956)

- भाग-A और भाग-B के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया
- भाग-C के राज्यों को समाप्त कर दिया गया
- (पूर्ववर्ती) राज्यों की कुल संख्या 14 और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 6 है

वर्ष 1956 के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन/निर्माण

अन्य राज्यों से अलग हुए राज्य

- बाँम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र (बाँम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960)
- असम से नगालैंड (नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962)
- पंजाब से हरियाणा (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966)
- असम से मेघालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ (मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- बिहार से झारखण्ड (बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- आंध्र प्रदेश से तेलंगाना (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014)



राज्य का दर्जा देने के पश्चात् गठित राज्य

- हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970)
- मणिपुर और त्रिपुरा (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- सिक्किम (36वाँ संविधान संशोधन (1975))
- मिज़ोरम (मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986)
- अरुणाचल प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986)
- गोवा (गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987)

केंद्रशासित प्रदेशों का गठन

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप - 1956
- पुदुचेरी - 1962
- चंडीगढ़ - 1966
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - 2019
- दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव - 2020

और पढ़ें: [हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस](#)